

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं०- मं०मं०-01/आर०-21/2010.....पटना, दिनांक- 2011

—: अधिसूचना —:

विषय :- - बालू उत्खनन से संबंधित सभी पहलुओं की सम्यक समीक्षा कर सुझाव देने हेतु मंत्रियों के समूह का गठन करने के संबंध में।

मंत्रिपरिषद् की दिनांक-15.03.11 को आयोजित बैठक के मद संख्या-42 "अन्यान्य" में लिये गये निर्णय के आलोक में बालू उत्खनन से संबंधित अधिनियम, नियम एवं नीति की सम्यक समीक्षा कर समेकित सुझाव देने हेतु उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

(क)	उप मुख्यमंत्री	:-	अध्यक्ष
(ख)	मंत्री, खान एवं भूतत्व	:-	सदस्य
(ग)	मंत्री, मानव संसाधन विकास	:-	सदस्य
(ग)	मंत्री, जल संसाधन	:-	सदस्य
(घ)	मंत्री, पथ निर्माण	:-	सदस्य

3. मंत्रियों के समूह को सचिवालय सहायता मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(उपेन्द्र कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-01/आर०-21/2010.....पटना, दिनांक- 2011

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-


(उपेन्द्र कुमार)

सरकार के अपर सचिव

क०पू०उ०

ज्ञापांक- मं०मं०-01/आर०-21/2010.....359.....पटना, दिनांक-21/3/2011

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(उपेन्द्र कुमार)

सरकार के अपर सचिव

